☎ Office : 0291-2545066
0291-2545251
Fax : 0291-2545251

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR - 342 001
e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
website : www.barcouncilofrajasthan.org

SANJAY SHARMA
Chairman

Ref. No. BCR/ 2424.

Dated 26.02.2013

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय–राजस्थान के अधिवक्ताओं की सम्मान एवं समस्याओं के संदर्भ में।

महोदय,

निवेदन है कि राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं का राज्य के विकास में हमेशा महत्वर्पूण योगदान रहा है। समाज के उत्थान में भी अधिवक्ताओं का योगदान सराहनीय रहा है। अधिवक्ता समाज की गिनती समाज के प्रबुद्व वर्गों में होती है, पिछले कुछ समय से राजस्थान के अधिवक्ताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है इस संदर्भ में बार कॉउन्सिल आफ राजस्थान द्वारा पूर्व में भी आपके समक्ष अधिवक्ताओं के लिए कुछ कल्याणाकारी योजनाऐं लागू करने के लिए ज्ञापन भेजे गये थे। भारत देश के कई राज्यों द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाऐं लागू की गयी है जिनकी प्रति इस मांग पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। यह बडे हर्ष का विषय है कि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अधिवक्ता समाज से संबंधित है। राजस्थान राज्य का पूरा अधिवक्ता समाज इस बात पर अपने आपको गौरान्वित महसूस करता है एवं यह उम्मीद करता है कि आपसे ज्यादा अधिवक्ताओं की समस्या को कौन समझेगा।

अब पुनः बार कॉउन्सिल आफ राजस्थान द्वारा संपूर्ण राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाऐं आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं:–

RESIDENCE & OFFICE : 1, Gopalpura Gaon, Gopalpura Byepass, Near Triveni Nagar Choraha, **JAIPUR**
Phone : 0141-2761762 (R), 98290-56176 (M)

☎ Office : 0291-2545066
0291-2545251
Fax : 0291-2545251

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR - 342 001
e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
website : www.barcouncilofrajasthan.org

SANJAY SHARMA
Chairman

Ref. No. BCR/

Dated.....

1. संपूर्ण राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं को न्यूनतम दरों पर आवास हेतु भूमि उपलब्ध करायी जावे।
2. पांच वर्ष से कम अनुभव वाले नये अधिवक्ताओं को रू0 2000/– प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जावे।
3. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष में कम से कम रू0 10.00 करोड का सरकार की ओर से अनुदान प्रदान किया जावे।
4. अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया जावे।
5. राजस्थान राजस्व बोर्ड में अधिवक्ताओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जावे।
6. जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष पदों पर 50 प्रतिशत अधिवक्ता को नियुक्त किया जावे।
7. जिला एवं तहसील स्तर पर अधिवक्ता संघों में राज्य सरकार की ओर से एक परिपूर्ण पुस्तकालय की स्थापना की जावे।
8. जयपुर और जोधपुर में बनाये जाने वाले अधिवक्ता भवनों के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जावे एवं अजमेर में भी अधिवक्ता भवन बनाये जाने के लिए भूमि एवं अनुदान दिया जावे।
9. राजस्थान में स्थित अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) में सदस्य के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जावे।
10. राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जावे।
11. राज्य की सभी अदालतों में आधारभूत सुविधाऐं सरकार द्वारा प्रदान की जावे जिससे की समुचित माहौल में न्याय कार्य हो सके।
12. राज्य की सभी अदालतों का कम्प्यूटराईजेशन किया जावे।

RESIDENCE & OFFICE : 1, Gopalpura Gaon, Gopalpura Byepass, Near Triveni Nagar Choraha, **JAIPUR**
Phone : 0141-2761762 (R), 98290-56176 (M)

☎ Office : 0291-2545066
0291-2545251
Fax : 0291-2545251

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS
JODHPUR - 342 001
e-mail : secretary@barcouncilofrajasthan.org
website : www.barcouncilofrajasthan.org

SANJAY SHARMA
Chairman

Ref. No. BCR/

Dated.....

13. राजस्थान न्यायिक सेवा एवं सहायक लोक अभियोजक सेवा में न्यूनतम आयु 35 वर्ष से बढाकर 40 वर्ष की जावे।
14. जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में राजस्थान के छात्र/छात्राओं के लिए कोटा आरक्षित किया जावे।

अतः यह मांग पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर नम्र निवेदन है कि आप राजस्थान राज्य के अधिवक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए तुरंत प्रभाव से इन मांगों को मंजूर कर लागू करवायेगें जिससे की ना केवल अधिवक्ता समाज के हितों की रक्षा हो सके बल्कि उनके सम्मान की रक्षा हो सके।

भवदीय,

(संजय शर्मा)
चैयरमेन,
बार कॉउन्सिल आफ राजस्थान

RESIDENCE & OFFICE : 1, Gopalpura Gaon, Gopalpura Byepass, Near Triveni Nagar Choraha, **JAIPUR**
Phone : 0141-2761762 (R), 98290-56176 (M)